International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2017; Page No. 45-48

शरीअत में निकाह, तलाक, हलाला एवं भारतीय संविधान

तरन्नुम सिद्दीकी

Ph.D. Scholar (Economics), Singhania University, Pacheri Bari, Jhunjhunu, Rajasthan, India

सरांश

प्रस्तुत लेख में भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों से हो रहे विवाह (निकाह), तलाक, शरीअत एवं भारतीय संविधान का वर्णन किया गया है। जहां पर हम बात करते है कि भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उसी संसदीय प्रणाली की सरकार वाले गणराज्य में औरतों का हनन कहीं तो, विवाह (निकाह) के रूप में किया जा रहा है तो कहीं तलाक के रूप में, तो कहीं दहेज़ अधिक न मिलने के कारण। इस प्रकार के शोषण का मुख्य कारण धर्म का सही और पूरा ज्ञान न होना, लोगों में अन्धविश्वास का होना, स्कूलों में धार्मिक/देश प्रेम की शिक्षा का न दिया जाना, एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक विवाह के साथ ही साथ "विवाह को कानूनी रूप" प्रदान न किया जाना है। प्रस्तुत लेख पूर्णतया द्वितीय प्रकार की सूचनाओं पर आधारित है जैसे– इस्लामिक पुस्तक, भारतीय संविधान एवं वेब साइड इत्यादि।

मूल शब्द: इस्लामी शरीअत में निकाह, तलाक एवं हलाला, बहु–विवाह, हिन्दू धर्म में विवाह, भारतीय संविधान।

प्रस्तावना

शरीअत में निकाह

इस्लामी शरीअत ने निकाह (विवाह) को बहुत महत्व दिया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे अपनी सुन्नत[1] बताया है। निकाह लड़के और लड़की की सहमति से और निहायत आसान होना चाहिए। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "निसंदेह सब से उत्तम (बरकत वाला) निकाह वह है जिसमें कम से कम ख़र्च हो।" यह बड़ी बदक़िस्मती की बात है कि निकाह के महंगे आयोजनों के द्वारा हम निकाह और अपने पारिवारिक जीवन को ईश–प्रदत्त वरदान से वंचित कर देते हैं। दहेज, ढोल–ताशों के साथ बारातें, क़ीमती कपड़े, रस्मो रिवाजों का आयोजन और खान–पान का विशेष एवं ख़र्चीला प्रबंध, आदि इस्लामी शरीअत का खुला उल्लंघन है।

अगर हम इस्लाम धर्म में बहु–विवाह की बात करते हैं तो संसार में कुरान ही एक मात्र ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें यह बात कही गई है कि "केवल एक (औरत) से विवाह करो"। पवित्र कुरआन में है– अपनी पसंद की औरत से विवाह करो चाहे दो, तीन अथवा चार, परन्तु यदि तुम्हे भय हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते तो तुम केवल एक (औरत) से विवाह करो। इस्लाम धर्म में चार विवाह की हद है परन्तु उन सभी (पत्नियों) के साथ एक सा सलूक किया जाए। कुरआन के अवतरित होने से पूर्व बहु– विवाह की कोई सीमा नहीं थी। पूर्वकाल में बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियाँ रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियाँ होती थीं। कुरआन के इसी अध्याय अर्थात सूरा निसा आयत 129 में कहा गया हैः "तुम स्त्रियों (पत्नियों) के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे (कुरआन, 4:129)।" परन्तु बहुत से लोगों में यह भ्रम है कि मुसलमान पुरूष के लिए एक से अधिक पत्नियाँ रखना अनिवार्य है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि0) का बयान है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया– "अगर किसी आदमी की दो पत्नियाँ हों और उसने उनके साथ इन्साफ़ और बराबरी का व्यवहार न किया तो वह बड़ा गुनाहगार है।"

किसी भी धार्मिक पुस्तकों में पत्नियों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है, चाहे वह वेद हो, रामायण, महाभारत, गीता, तलमूद या बाईबिल हो। इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नियाँ रख सकता है। बाद में हिन्दु साधुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी। हम देखते हैं कि बहुत से हिन्दू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है, अनेक पत्नियाँ थीं। जैसे– राम के पिता राजा दशरथ की एक से अधिक पत्नियाँ थीं। प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियाँ रखने की इज़ाजत थी, क्योंकि बाईबिल में भी पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। मात्र कुछ सदी पहले पादरियों ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी है।

यहूदी धर्म में भी बहु–विवाह की इज़ाजत है। तलमूद कानून के अनुसार इब्राहीम की तीन पत्नियाँ थीं और सुलैमान की सैकड़ों पत्नियाँ थीं। बहु–विवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गर्शोम बिन यहूदा (960 ई0– 1030 ई0) ने इसके ख़िलाफ हुक्म जारी किया। मुस्लिम देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्तगाल समुदाय में यह रिवाज 1950 ई0 तक प्रचलित रहा और अन्ततः इज़राईल के प्रमुख रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी।

इस्लामी शरीअत

इस्लामी शरीअत अल्लाह के आदेशों, अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मार्गदर्शनों, मुस्लिम समुदाय की आम सहमति और इमामों के चिंतन और विश्लेषण पर आधारित कानूनों के संग्रह का नाम है। इन शरीअत के अनुसार इन्सान अपना जीवन व्यतीत करते हुए दुनिया में सफल हो सकता है। यह उस सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अल्लाह के द्वारा अवतरित शरीअत है, जो सबसे अधिक ज्ञान रखता है कि इन्सानों का हित और उसकी भलाई किन सिद्धांतों में निहित है। "तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इन्साफ़ की दृष्टि से पूर्ण है (अल–अनआम 115)।" अल्लाह ने शरीअत के आदेश के विपरीत फैसले को कुफ़्र (इंकार), जुल्म और हानिकारक करार दिया है (अल–माइदा 44, 45 और 46)। धर्म का ज्ञान इंसान को सही राह पर चलने की हिदायत अता फ़रमाता है परन्तु आधा ज्ञान सर्वनाशी एवं भयावान हो सकता है जिसका उदाहरण समाज में तीन तलाक के रूप में हम देख सकते हैं।

शरीअत में बीवी के हकूकात (ज़िम्मेदारियाँ)

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि "औरत अपने पति के साथ खुशी से रहे, उसके हुक्म को पूरा करे, पाँचों समय की रोजाना नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, पति अगर दूर हो तो उसकी सम्पत्ति और अपने सतीत्व (इज़्जत) की सुरक्षा करें। ऐसी ही स्त्री आर्दश पत्नी समझी जायेगी और वह जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे प्रवेश कर सकती है।" इस तरह प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने औरतों को अधिकार भी दिये है और उन्हें उनके कर्तव्यों से भी बाखबर किया है। कुरआन में है कि– "नेक बीवियाँ (शौहर की) इताअत करने वाली होती हैं।" नबी (सल्ल0) का इरशाद है– "कोई औरत शौहर की इजाज़त के बिना रोज़ा (नफ़िली रोज़ा) न रखे।" "ख़ुदा कि़यामत के दिन उस औरत की ओर नज़र उठाकर भी न देखेगा जो शौहर की नाशुक्रगुज़ार करने वाली होगी, हाँलाकि औरत किसी वक़्त भी शौहर से बेनियाज़ नहीं हो सकती।"

शरीअत में शौहर के हकूकात (ज़िम्मेदारियाँ)

सही मुस्लिम (अध्यायः हुज्जतुन नबी) में दर्ज है "पति पर यह अनिवार्य है कि वह पत्नी के साथ सद्व्यवहार करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनका महर (निकाह के बदले दिया गया धन) अदा करे, अपने धन पर उसका (पत्नी) अधिकार स्वीकार करे और उसमें से ख़र्च करने का उसे पूरा हक़ दे।" बीवी के साथ अच्छे व्यवहार की ज़िन्दगी गुज़ारे। उसके हक़ों को दिल खोलकर अदा करे और हर मामले में एहसान और ईसार का रवैया अपनाए। ख़ुदा का इरशाद है– "और उनके साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ारों (कुरआन, 4:19)।"

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूँ कहा है कि– "कोई ईमानवाला मर्द अपनी ईमानवाली बीवी से नफ़रत न करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको नापसन्द है, तो हो सकता है कि उसकी दूसरी आदत पसन्द आ जाए।" आप ने अपने अंतिम संबोधन में वसीयत किया था कि "लोगों ! अपनी पत्नियों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, कि अल्लाह के नाम से तुमने उसे पत्नी बनाया है।"

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि "अपनी पत्नी को मारने वाला इन्सान अच्छे आचरण का नहीं है। तुममें से सर्वश्रेष्ट व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी से अच्छा सलूक करे। औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना खुदा का हुक्म है, क्योंकि वे तुम्हारी माँ, बहन और बेटियाँ हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अपनी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार न करो। उसको मारो–पीटो मत। जब तुम खाओ तो अपनी पत्नी को भी खिलाओ। जब तुम पहनो तो अपनी पत्नी को भी पहनाओ। पत्नी को ताने मत दो। उसका दिल न दुखाओ। उसको छोड़कर न चले जाओ। पत्नी अपने पति के स्थान पर समस्त अधिकारों की मालकिन है। अपनी पत्नी के साथ जो अच्छी तरह बर्ताव करेगा, वही तुम में सबसे बेहतर हैं।

पत्नी को महीनों तक मैके में छोड़ देना, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, बच्चों के जन्म और पत्नी के इलाज का ख़र्च पत्नी के मां–बाप से तलब करना, उसको अलग कमरे और बुनियादी आज़ादी से वंचित करना, उसके माल पर जबरन क़ब्ज़ा कर लेना, आदि इस्लामी शरीयत का खुला उल्लंघन और अत्याचार का सबसे निम्न रूप है और अल्लाह अत्याचार को कभी माफ़ नहीं करता।

शरीअत में तलाक

विवाह जिसे निकाह कहा जाता है एक पुरूष और एक स्त्री का अपनी आजाद मर्जी से एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला है। इसकी तीन शर्ते हैंः– पहली यह कि पुरूष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो, मेहर के रूप में औरत को दे और इस नये सम्बन्ध की समाज में घोषणा हो जाये। इसके बिना किसी मर्द और औरत का साथ रहना और यौन सम्बन्ध स्थापित करना एक बड़ा अपराध है।

परन्तु यह सम्बन्ध (विवाह) दोनो में से किसी एक की इच्छा पर खत्म भी हो सकता है, जिसका अधिकार इस्लाम देता है इसी को तलाक या सम्बन्ध– विच्छेद कहा जाता है। इसका एक नियम और तरीका यह भी है कि अगर स्त्री या पुरूष में से कोई इस वैवाहिक जीवन से संतुष्ट न हो और मिलकर रहना सम्भव न रह जाये तो बताये हुए तरीकों के आधार पर दोनों अलग हो जाये और चाहे तो दूसरा विवाह कर लें। तलाक कोई मजाक नहीं है कोई यदि इसे गम्भीरता से न ले तो यह उस व्यक्ति का दोष होगा, नियम का नही।

पवित्र कुरान में कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, तलाक न दिया जाए और यदि तलाक देना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम यह प्रक्रिया न्यायिक हो। इसके चलते पवित्र कुरान में एकतरफा या सुलह का प्रयास किए बिना तलाक का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। इसी तरह पवित्र कुरान में तलाक की प्रक्रिया की समय अवधि भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। खत लिखकर या टेलीफोन पर एकतरफा और जुबानी तलाक की इज़ाजत इस्लाम कतई नहीं देता है। एक बैठक में या एक वक्त में तलाक दे देना गैर– इस्लामी है जोकि एक ही क्षण में तलाक का सवाल ही नहीं उठता।

अगर पति–पत्नी तलाक पर आमादा ही हैं तो इस्लामी तरीका यह है कि तलाक का आखिरी फैसला करने से पहले एक– दो आदमी लड़के की ओर से एक–दो लड़की की ओर से मिल कर बैठें और कोई ऐसा हल निकालें कि आपस में दोनों का मेल–मिलाप हो जाए और तलाक की नौबत न आने पाए। लेकिन अगर किसी तरह समझौता न हो सके और तलाक के सिवा कोई चारा ही न हो तो फिर मर्द औरत को, सिर्फ एक तलाक दे यानी कहे कि मैंने तुझे तलाक दी। तलाक दो इन्साफ करने वाले गवाहों की मौजूदगी में दिया जाए। तलाक 'तुहर' (यानी माहवारी के बाद की हालत) में दी जाय, जिस में शौहर ने बीबी के साथ सोहबत (यौन सम्बन्ध) न की हो। तलाक के बाद औरत को 'इद्दत' यानी एक खास मुद्दत गुजारनी होगी। इस मुद्दत में मर्द फिर से औरत को अपना सकता है। अगर मर्द अपनाने के लिए तैयार न हो तो औरत अलग हो जाएगी। अगर बाद में दोनों चाहे तो दोबारा निकाह कर सकते हैं।

अगर औरत मर्द से अलग होना चाहती है, तो मर्द से 'खुलअ' करा सकती है। हज़रत सोबान (रज़ि0) से मरवी है कि नबी–ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो औरत अपने शौहर से बग़ैर किसी सख़्त ज़रूरत या परेशानी के तलाक मांगे उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है। आ़म तौर पर ऐसा होता है कि शौहर व बीवी में लड़ाई हुई, घरेलू ज़िन्दगी में ऐसी बातें पेश आ जाती हैं तो औरत गुस्से की वजह से कहती है कि हमें छोड़ दीजिए, हमारा रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। कभी–कभी शौहर गुस्से में होने की वजह से कहता है, जाओ। तो बीवी को हरगिज़ ज़बान से ऐसी बात न निकालनी चाहिए कि जहाँ मर्द को परेशानी भुगतनी पड़ती है वहीं औरत की ज़िन्दगी भी अजीरन बन जाती है। छोटे बच्चे हों तो और परेशानी होती है। जहाँ तक हो सके तलाक़ की सूरत पैदा न करें। सफल वैवाहिक जीवन का मर्म यही है कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज़ किया जाए और विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अगर मजबूरी में सम्बन्ध तोड़ना अनिवार्य हो जाए, तो यह काम भी इस्लामी शरीअत के अनुसार होना चाहिए और निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिएः–

- क्रोध में आकर अचानक तीन तलाक़ दे देना अल्लाह और

उसके रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अत्यंत नापसंद है और इस्लामी शरीअत की शिक्षा के ख़िलाफ है।

- तलाक़ का फैसला, बात–चीत और सुलह के सभी प्रयासों की नाकामी के बाद ख़ूब सोच– विचार कर करना चाहिए। अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि किसी प्रकार के अधिकारों का हनन और अत्याचार न होने पाए।
- तलाक़ का वह उत्तम तरीका जिसे इस्लामी शरीअत ने बताया है अपनाया जाना चाहिए। अर्थात तलाक़ देने का फ़ैसला हो जाए तो पत्नी को पवित्र हालत में एक तलाक़ दी जाए और इद्दत का इंतिज़ार किया जाए। इद्दत के दौरान पति को रूजू (सानिध्य) करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर इद्दत ख़तम हो जाए तब भी पति को पत्नी की रज़ामंदी से दोबारा निकाह करने का अवसर बाक़ी रहता है। हमें इसी तरीक़े को समाज में प्रचलित करने का प्रयास करना चाहिए।
- पत्नी को अनिर्णीत रखना, अर्थात न उसे तलाक़ देना और न साथ रखना, बड़ा गुनाह है। अगर औरत अलगाव चाहती हो, तो वह ख़ुलाअ या फ़िस्ख़ के द्वारा अलग हो सकती है। जो औरतें पति के उत्पीड़न का शिकार हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। खुलाअ या फिस्ख़ के बारे में क्या आदेश दिए गए हैं उन्हें मालूम करना चाहिए और इस्लामी शरीअत के अनुसार अलगाव के रास्ते उन्हें बताना चाहिए। आपसी विवाद के निवारण के लिए परामर्श केंद्र, शरई पंचायत या दारूल क़ज़ा से संपर्क किया जाना चाहिए। हमें प्रत्येक स्थिति में अदालतों से परहेज़ करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्पीड़न की शिकार मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को हम स्वंय हल करें और उन्हें पुलिस थानों या ग़ैर–इस्लामी संस्थाओं या संगठनों से संपर्क स्थापित करने पर लाचार न करें।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा कि लोगों में, तलाक के कानून के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर गलतफहमी है, शरीअत में तलाक देने का तरीका–

1) अगर पति– पत्नी में विरोधाभास हो तो पहले वे खुद उन विरोधाभासों को समाप्त करने की कोशिश करें। इन दोनों को यह बात सामने रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं।
2) अगर इस तरह से बात न बने तो अस्थायी तौर पर सम्बन्ध–विच्छेद किया जा सकता है।
3) अगर ये दोनों ही तरीके नाकाम हो जाएं तो दोनों परिवारों के समझदार लोग समझौते की कोशिश करें। या फिर दोनों तरफ से एक–एक मध्यस्थ बनाकर पति–पत्नी के बीच के विरोधाभास को खत्म करने की कोशिश हो।
4) अगर इसके बावजूद बात न बने तो पत्नी को पाकी की हालत में पति एक तलाक देकर छोड़ दे। इसके बाद तीन महीने दस दिन इद्दत के गुज़र जाएं। इस दौरान पति सम्पर्क करे और अगर समझौता हो जाए तो फिर पति–पत्नी की तरह दोनों अपना जीवन व्यतीत करें।
5) अगर इद्दत के बीच पति ने सम्पर्क नहीं किया और समझौता नहीं हुआ तो इद्दत के बाद खुद ही निकाह खत्म हो जाएगा और दोनों नए सिरे से जीवन शुरू करने के जिम्मेदार होंगे।
6) इस बीच अगर पत्नी गर्भवती होगी तो इद्दत की मुद्दत गर्भ खत्म होने तक जारी रहेगी।
7) तलाक देने की सूरत में पति पत्नी को महर और इद्दत की अवधि का खर्च देना होगा और अगर महर बाकी हो तो वह भी फौरन अदा करना होगा।
8) अगर इद्दत के बाद समझौता हो जाए तो आपसी रजामंदी से नए मेहर के साथ दोनों नए निकाह के जरिये पति– पत्नी का रिश्ता जी सकते हैं।
9) दूसरी सूरत यह है कि अगर दोनों में आपसी समझौता न हो तो, पाकी की हालत में पति एक तलाक दे और फिर दूसरे महीने दूसरा तलाक दें और तीसरे महीने तीसरा तलाक दे। इस प्रकार शरीअत के अनुसार तलाक या सम्बन्ध विच्छेद हुआ माना जाता है।

शरीअत में हलाला

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूरः बकरा के 29वें रूकूअ़ में आयत न0 230 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है कि– अगर उस (बीवी) को तलाक दे दिया (यानी तीन तलाकें, तो) अब उस (शौहर) के लिए हलाल नहीं, जब कि वह औरत उस के सिवा दूसरे से निकाह न कर ले, फिर अगर वह भी तलाक़ दे दे, तो इन दोनों में मेल–जोल कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर दूसरा शौहर निकाह और यौन सम्बन्ध (सोहबत) के बाद तलाक दे दे, तो पहले ख़ाविंद पर फिर उसी औरत से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं और यह भी जान लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ़ धोखा और फ़रेब का नहीं था, बल्कि सच्चाई थी।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है, ताकि लोग तलाक देने में जल्दबाज़ी न करें, यानी एक आदमी ने अपनी बीबी को तीन तलाकें दीं, फिर उस ने एक आदमी से कहा कि तू इस से निकाह कर के इस को मेरे लिए हलाल कर दे। यह करना शरीअत में मना और गुनाह है।

भारतीय संविधान

भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द, संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार देता है। भारत के सभी नागरिक, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं।

> भारतीय संविधान के भाग 4 क (ङ) में भी साफ कहा गया है कि– भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार– न्यायालयों पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें। सम्बन्धविच्छेद पर निर्वाहव्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे।

हिन्दू विवाह अधिनियम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण को रोक कर उन्हें न्याय प्रदान करता है, क्योंकि हमारे देश का कानून निर्दोशो पर हो रहे अत्याचार को रोकता है।

हमारे उत्तरदायित्व एवं सुझाव

1) भारत देश में विभिन्न धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग निवास करते है। हमारे देश का कानून सभी धर्मों में समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी धर्म में अपने देश के नियमों का पालन करना हमारा अहम कर्तव्य होता है। यहां पर विभिन्न धर्मों एवं अनेक रीति– रिवाजों से विवाह (निकाह) होता आ रहा है उस पर कानून द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है परन्तु जब पारिवारिक कलह/लड़ाई– झगड़े/सम्बन्ध–विच्छेद की स्थिति आती है तो लोगों द्वारा कानून का सहारा लिया जाता है इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं।

आज हमारे समाज में पारिवारिक लड़ाई–झगड़े एवं तलाक की समस्या दीमक की तरह होती जा रही है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार द्वारा यह नियम लागू किया जाए कि प्रत्येक धर्म के लोगों द्वारा अपने धर्मों के अनुसार विवाह करने के उपरान्त विवाह की "कानूनी रजिस्ट्री" भी कराई जाए। ताकि निकाह (विवाह) जैसे पवित्र रिश्ते को खेल न समझा जाए और एक बार में तीन तलाक दे देने की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सके। महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए हमारे देश के लोगों एवं धर्मगुरूओं द्वारा विवाह (निकाह) को "कानूनी मान्यता" देने की भी सहमति दिये जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं (पत्नियों) पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके।

2) इस्लामी शरीअत के उन आदेशों को उसके सही तात्पर्यों के साथ मुस्लिम समाज में प्रचलित किया जाए एवं परिवार के बुजुर्गों का दायित्व है कि वह अपने परिवार जनों को शरीअत के प्रति प्रतिबद्ध करें।
3) इस्लामी शरीअत के विरूद्ध प्रथाओं, मनोकामनाओं, सामाजिक रीतियों या बाप– दादा के ग़लत तरीक़ों पर चलने से कुरआन ने कठोरता के साथ मना किया है।
4) इस्लामी शरीअत के तरीकों का अधिक से अधिक प्रचार– प्रसार किया जाए ताकि विवाह एवं तीन तलाक से सम्बन्धित परेशानियों को दूर किया जा सके।
5) तलाक एवं पारिवारिक परेशानियों से निज़ात पाने के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान भाई– बहनें शरीअत को अपने पूरे जीवन में अपनाएं और देशवासियों को इस्लाम और इस्लामी शरीअत से परिचित कराएं और उनकी ग़लतफहमियों को दूर करें।
6) विद्यालयों एवं मदरसों में भी धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए साथ ही साथ भारतीय संविधान और देश प्रेम की भावना की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए।

संदर्भ सूची

1. अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बताए हुए कार्य जो उन्होंने स्वयं किया और लोगों को भी करने कि हिदायद दी।
2. मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ इस्लामी. आदाबे ज़िन्दगी. प्रकाशन न0 41. मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2013, पेज न0. 153–162.
3. मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद इरशाद क़ासमी. जन्नती औरत. फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2014, पेज न0. 44–47.
4. मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजराती, शरीअ़त या जहालत, रब्बानी बुक डिपो, दिल्ली, 2010, पेज न0 180–181.
5. मुस्लिम पर्सनल लॉ. जागरूकता अभियान (23 अप्रैल– 7 मई 2017). जमाअते इस्लामी हिन्द उ0 प्र0 (पूरब), 158/37, दारूल इस्लाम, मोलवीगंज, लखनऊ– 226018.
6. हिन्दुस्तान हिन्दी न्यूज पेपर. अप्रैल 2017.
7. डॉ0 ज़ाकिर नाईक. इस्लाम सब के लिए. इस्लामिक रिसर्च, डब्लू0 डब्लू0 डब्लू0 डॉट गूगल डॉट कॉम. अप्रैल 7, 2017
8. अब्दुल्लाह आडीयार. इस्लाम सब के लिए. इस्लामिक रिसर्च, डब्लू0 डब्लू0 डब्लू0 डॉट गूगल डॉट कॉम. अप्रैल 1, 2017.
9. मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया, डब्लू0 डब्लू0 डब्लू0 डॉट गूगल डॉट कॉम. अप्रैल 15, 2017.